भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1999

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

राजधानी में वाहन चोरी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

1999. श्री राम कुमार कश्यप:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस साल के पहले तीन महीनों में हर 13 मिनट में वाहन चोरी होती है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है;
(ख) क्या राजधानी में पुलिस की लचर स्थिति बाहर से कार चोरों को राजधानी में आने के लिए लुभा रही है;
(ग) क्या कार चोर गिरोहों ने महंगी कारों के नए इलेक्ट्रॉनिक तालों को खोलने तथा ईंधन-चालित वाहनों में इंजन नियंत्रण को कुछ ही मिनटों में बेअसर करने की नई तरकीब ढूंढ ली है;
(घ) वाहन चोरी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ड़) चोरी हुए वाहनों की बारामदगी का प्रतिशत क्या है?

उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वर्ष 2015 की तदनरूपी अवधि के दौरान 6736 की तुलना में वर्ष 2016 की पहले तीन महीनों के दौरान कुल 9714 मोटर वाहनों की चोरी की सूचना मिली थी, अर्थात् पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान चोरी हुए मोटर वाहनों में 44% की वृद्धि है।

(ख): "सत्यनिष्ठ रिपोर्टिंग" और एफआईआर के ई-पंजीकरण की एक सचेतन नीति के रूप में दिल्ली पुलिस हाल के समय में इस उद्देश्य के साथ शिकायतें दर्ज कर रही है कि कोई भी

अपराध सूचित किए बिना न रहे। तथापि, दिल्ली पुलिस को एक उचित तंत्र स्थापित करने का अनुदेश दिया गया है जिससे चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी में सुधार हो।

(ग): दिल्ली पुलिस द्वारा देखा गया है कि कुछ मामलों में चोर, ड्रिल मशीन की मदद से कार का मुख्य/ स्टियरिंग ताला तोड़ देते हैं और वाहन को चुराने से पहले वाहन का इंजन कंट्रोल मॉडयूल (ईसीएम) भी बदल देते हैं।

(घ): वाहन चोरी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

1. ऐसे अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में ऑटो चोरी-रोधी दस्ते गठित किए गए हैं।

2. मोटर वाहन चोरी संभावित क्षेत्रों में पैदल/ मोटर साइकिल गश्त और पिकेट बढ़ाई गई हैं।

3. ऑटो चोरी-रोधी उपायों के बारे में निवासियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित आधार पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएशन (आरडब्लूए)/ मार्केट वेलफेयर एसोशिएशन के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4. मोटर वाहन चोरी को रोकने के लिए वाहनों की यादृच्छिक जांच की जाती है

5. पार्किंग स्थलों/ व्यस्त बाजारों में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाती है।

6. नागरिकों को उपकरणों की जानकारी देने के लिए ऑटो चोरी-रोधी उपकरणों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है।

---3/-

7. टैक्सी स्टैंड ऑपरेटरों/शिकायतकर्ताओं और आरडब्लूए को अपने वाहनों में जीपीएस प्रणाली लगाने के लिए सुग्राही बनाया जाता है।

8. ऐसे अपराध में पूर्व में शामिल रहे आरोपी व्यक्तियों पर समुचित निगरानी रखी जाती है।

(ड़): गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 31.3.2016 तक) के दौरान चोरी हुए वाहनों की बरामदगी की प्रतिशतता क्रमशः 13.44, 10.36, 5.48 और 2.64 है।